

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्या: 09/2020/936 प्रो०/51-2020-14(02)/2020

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,  
अनु सचिव,  
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकार  
गोरखपुर।

**मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)**

लखनऊ: दिनांक 23 जून, 2019

विषय: जनपद गोरखपुर में राज्य अतिथियों के आगमन पर उनके सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1164/वी०आई०पी०-व्यय बिल्स-2020 दिनांक 09 मार्च, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 28,504=00 (रूपये अठ्ठाईस हजार पाँच सौ चार मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क्रम सं० | मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक  | धनराशि        |
|----------|--|---------------|
| 1-       | श्रीमती स्मृति ईरानी, मा० महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री, भारत सरकार।<br>दिनांक 20-01-2019,<br>वाहन संख्या: यू०पी०-32 जे०एन०- 6577,<br>वाहन संख्या: यू०पी०-53 डी०टी०- 4818,<br>देयक संख्या: जीकेपी/आरएम/01/400, दिनांक 25-01-2020 | रू० 20,312=00 |
| 2-       | श्री राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार सरकार।<br>दिनांक 30-01-2020,<br>वाहन संख्या: यू०पी०-75 ए०टी०- 1385,<br>देयक संख्या: जीकेपी/आरएम/01/408, दिनांक 10-12-2020  | रू० 3,676=00  |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 3- | श्री देश दीपक वर्मा जी, (आई०ए०एस०), सेक्रेट्री जनरल,<br>राज्य सभा, भारत सरकार।<br>दिनांक 29-01-2020 से 30-01-2020,<br>वाहन संख्या: यू०पी०-32 जे०एन०- 6577,<br>देयक संख्या: जीकेपी/आरएम/01/409, दिनांक 10-02-2020 | रू० 4,516=00  |
|    | <b>(रूपये अठ्ठाईस हजार पाँच सौ चार मात्र) कुल योग</b>  | रू० 28,504=00 |

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

**संलग्नक: 03 देयक मूलरूप में**

भवदीय,  
अजय कुमार ओझा  
अनु सचिव।

**संख्या: 09/2020/936 प्रो०/51-2020-14(02)/2020, तद् दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,  
अजय कुमार ओझा  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।